# न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर(पाली)

## पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या :– 44/2013

प्रकरण दर्ज तिथि :– 18.06.2013

| प्रार्थी | बनाम | प्रार्थीगण |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर | | 1. रतनलाल पुत्र बींजाराम<br>2. बींजाराम पुत्र धीराराम<br>कौम कुम्हार निवासीगण बूटीवास |

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 पैराकार सरकार (प्रार्थीगण)

2 अप्रार्थी अनुपस्थित

### निर्णय

दिनांकः 07.06.2022

तहसीलदार रायपुर ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बूटीवास के खसरा नम्बर 825 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही चारम की भूमि में से गैरसायलान द्वारा बिना अनुमति नीम का हरा पेड काटा गया हैं। काटे गये नीम के हरे पेड के तने की चौडाई 09 फीट एवं लम्बाई 17 फीट हैं। उक्त काटे गये पेड की लकडी का अनुमानित वजन 25 क्विंटल हैं। ये अनुमानित वजन गीली लकऊी का हैं, जो सूखने पर कम हो सकता हैं। उक्त अवैध रूप से बिना अनुमत काटे गये हरे पेड का तना एवं लकडी मौके पर पडे हुए हैं। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर काटी गयी लकडी को बहक राज्य सरकार को लेकर गैरसायल को मौके से लकडी नहीं हटाने हेतु पाबंद किया गया हैं। काटी गई लकडी पटवारी हल्का द्वारा श्री भंवरलाल पुत्र बिरजी कौम मेघवाल निवासी बूटीवास की सुपुर्दगी में दी जाकर सुपुर्दगार को लकडी खुर्द बुर्द नहीं करने तथा सरकारी आदेश पर पुनः उपलब्ध कराने हेतु पाबंद किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय मूल फर्द मौका फर्द सुपुदर्गी अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रेषित कर निवेदन हैं कि गैरसायल के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर तथा लकडी के निलामी हेतु स्वीकृति प्रदान करावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिसं की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार रायपुर ने अपने जबाव में बताया कि प्रकरण से संबंधित भूमि में से पेडों को काटने के संबंध में परिवादी श्री रतनलाल पुत्र बींजाराम, बींजाराम पुत्र धीराराम कौम कुमावत निवासी बूटीवास का प्रकरण सीआर 10/2014 माननीय सिविल न्यायालय बर में विचाराधीन हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

बहस एकतरफा समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् कुर्क सुदा लकड़ियों की निलामी की नियमानुसार कार्यवाही करें तथा अप्रार्थी के विरूद्ध 100 रूपये का जुर्माना किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

# आदेश

अतः प्रार्थी तहसीलदार रायपुर के प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम बूटीवास के खसरा नम्बर 825 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही चारम में अप्रार्थी के द्वारा नियम विरूद्ध हरे वृक्ष काटने पर 100रू (अक्षरे एक सौ रू) जुर्माना आरोपित किया जाता हैं। तहसीलदार रायपुर आरोपित जुर्माना राशि वसूल कर राज्य कोष में जमा करावें एवं जब्त सुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी कर निलामी फर्द पेश करें। निलामी संबंधी समस्त कार्यवाही पृथक से की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)**

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)**